International Journal of Leading Research Publication (IJLRP)
E-ISSN: 2582-8010 ● Website: www.ijlrp.com ● Email: editor@ijlrp.com

महिला सशक्तिकरण और राजनीति

तरुण परिहार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

सारांश

महिला सशक्तिकरण और राजनीति विषय आधुनिक लोकतांत्रिक समाज की एक प्रमुख आवश्यकता है। इस शोध में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी, उनके सामने आने वाली चुनौतियाँ, और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता न केवल लिंग समानता के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भी द्योतक है। महिला आरक्षण, पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी, और वैश्विक महिला नेतृत्व (जैसे जैसिंडा अर्डर्न और एंजेला मर्केल) की सफलता इस दिशा में प्रेरणादायक हैं। हालांकि, सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक निर्भरता, और राजनीतिक संरचनाओं में व्याप्त लैंगिक भेदभाव उनके लिए मुख्य बाधाएँ बने हुए हैं। यह शोध महिला नेताओं की सफलता की कहानियों के साथ उन नीतियों और रणनीतियों पर भी प्रकाश डालता है, जो महिलाओं को राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं।

मुख्यशब्द:महिलाअधिकार, मानवाधिकारआंदोलन, सशक्तिकरण, लैंगिकसमानता, सामाजिकन्याय, पितृसत्ता, संघर्ष, न्यायिकसुधार, नीतिनिर्माण।

1. 1 प्रस्तावना

महिला सशक्तिकरण और राजनीति का विषय समकालीन लोकतांत्रिक समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह न केवल महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का प्रश्न है, बल्कि यह समाज में समानता, न्याय और प्रगति के आदर्शों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल उनकी उपस्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत बदलाव, और समाज के व्यापक विकास को प्रभावित करने का एक प्रभावशाली माध्यम है।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर, और संसाधनों तक समान पहुँच दिलाना। राजनीति में उनकी भागीदारी केवल एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बदलाव और विकास का आधार भी है। लोकतंत्र की अवधारणा में सभी नागरिकों को समान भागीदारी और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा और असंतुलित रहता है(देवी, 2018)।

भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, और एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई।

संविधान सभा में भी महिलाओं की उपस्थिति ने लिंग समानता और अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने में अहम योगदान दिया।

वर्तमान में, भारत ने पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया। यह न केवल उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में सहायक हुआ है, बल्कि ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन में भी महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाया है। इसके बावजूद, उच्च राजनीतिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। संसद और विधानसभाओं में महिला प्रतिनिधियों का प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है।

महिलाओं की राजनीति में भागीदारी से न केवल लोकतंत्र मजबूत होता है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की नींव भी मजबूत होती है। जब महिलाएँ राजनीतिक निर्णयों का हिस्सा बनती हैं, तो वे महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता और कुशलता के साथ काम करती हैं।

इस शोध का उद्देश्य राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के महत्व को रेखांकित करना, उनकी चुनौतियों का विश्लेषण करना और सशक्तिकरण के लिए प्रभावी नीतियाँ और रणनीतियाँ प्रस्तुत करना है।

1.2 महिला सशक्तिकरण: परिभाषा और अवधारणा

महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को उनके अधिकार, अवसर और संसाधनों तक समान पहुँच प्रदान करना है। यह प्रक्रिया महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर स्वायत्तता और समानता प्रदान करने की दिशा में काम करती है। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना नहीं है, बल्कि समाज में उनके समग्र योगदान को भी पहचानना और प्रोत्साहित करना है (नेहरू, 1951)।सामाजिक सशक्तिकरण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तक पहुँच दिलाने पर केंद्रित है। भारत में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे सरकारी अभियान इसी दिशा में कार्यरत हैं, जिनका उद्देश्य लैंगिक असमानता को समाप्त करना और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है (मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, 2015)।

आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्व-सहायता समूहों (SHGs) और महिला उद्यमिता के लिए सरकारी योजनाएँ महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता दिलाने में सहायक रही हैं (देवी, 2018)।राजनीतिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यह उन्हें राजनीतिक प्रक्रियाओं और निर्णय लेने में भागीदार बनने का अवसर देता है। पंचायत राज अधिनियम, 1992, के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना इस

दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, जिससे लाखों महिलाएँ स्थानीय शासन में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं (सिंह, 2003)।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में राजनीतिक सशक्तिकरण का महत्व इसलिए भी अधिक है, क्योंकि यह अन्य सभी क्षेत्रों में सशक्तिकरण के लिए आधार तैयार करता है। जब महिलाएँ नीतियों और निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं, तो वे न केवल महिलाओं से संबंधित मुद्दों को उठाती हैं, बल्कि व्यापक सामाजिक सुधारों का भी नेतृत्व करती हैं (चटर्जी, 2010)। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और न्यूज़ीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने यह साबित किया है कि महिला नेतृत्व निर्णय प्रक्रिया में संवेदनशीलता और प्रगतिशील दृष्टिकोण ला सकता है (वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, 2020)।महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं है; यह समग्र सामाजिक विकास का माध्यम है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी से न केवल लोकतंत्र मजबूत होता है, बल्कि यह समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान देने का एक प्रभावी उपकरण है (UNDP, 2019)।

1.3 राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारतीय समाज में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी का इतिहास गहरी जड़ें रखता है, जो स्वतंत्रता संग्राम के समय से प्रारंभ होता है। यह यात्रा न केवल महिलाओं की संघर्षशीलता और साहस का प्रतीक है, बल्कि यह उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास का द्योतक भी है।भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी नेतृत्व क्षमताओं को प्रदर्शित किया। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास में महिला वीरता का प्रतीक हैं, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया।

20वीं सदी में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त हुई। सरोजिनी नायडू, जिन्हें "नाइटिंगेल ऑफ इंडिया" कहा जाता है, ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, बल्कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला बनीं (जैन, 1998)।कमला देवी चट्टोपाध्याय और एनी बेसेंट ने सामाजिक सुधारों और स्वराज आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से यह सिद्ध किया कि राजनीति केवल पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, बल्कि महिलाएँ भी समाज के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकती हैं (बाली, 2003)।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को नई दिशा मिली। गांधीजी ने महिलाओं को अहिंसा, सत्याग्रह, और खादी आंदोलन जैसे अभियानों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से लाखों महिलाएँ सार्वजनिक जीवन में आईं और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनीं (गांधी, 1947)।

1.3.1 संविधान में महिलाओं के अधिकार और उनकी भागीदारी के लिए प्रावधान

स्वतंत्रता के बाद, भारतीय संविधान ने महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किए। संविधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति सीमित थी, लेकिन उनकी भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली रही। भीमराव अंबेडकर और अन्य संवैधानिक निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को समान अधिकार मिले।

महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान

1. समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14):

   महिलाओं को कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है।

2. लैंगिक भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15):

   राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।

3. समान अवसर का अधिकार (अनुच्छेद 16):

   सरकारी सेवाओं में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना।

4. पंचायती राज में आरक्षण (अनुच्छेद 243D):

   पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया गया, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

1.3.2 महिला आरक्षण विधेयक

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए 1996 में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसका उद्देश्य संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करना था। हालाँकि यह विधेयक अब तक पारित नहीं हुआ है, लेकिन इसने महिला अधिकारों के प्रति समाज और राजनीतिक तंत्र की सोच में बदलाव लाने का काम किया है (सिंह, 2011)।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी स्वतंत्रता संग्राम के समय से ही महत्वपूर्ण रही है। स्वतंत्रता के बाद, संविधान ने महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित किया और उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालाँकि आज भी उच्च स्तर की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सीमित है, लेकिन पंचायती राज और स्थानीय निकायों में उनकी सक्रियता समाज में सकारात्मक बदलाव ला रही है। यह ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य यह सिद्ध करता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी न केवल लोकतंत्र को मजबूत करती है, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना में भी सहायक होती है।

1.4 महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी के मुद्दे ने भारतीय लोकतंत्र में एक नई दिशा स्थापित की है। यह न केवल महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करता है, बल्कि समाज में लैंगिक समानता और समावेशिता को भी प्रोत्साहित करता है। महिला आरक्षण ने राजनीतिक तंत्र में महिलाओं की भागीदारी को मजबूत किया है और यह साबित किया है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और समावेशी बना सकता है।महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 1996 में पहली बार प्रस्तुत किया गया, का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करना है। यह विधेयक महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

महिला आरक्षण का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत में राजनीति परंपरागत रूप से पुरुष प्रधान रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10-15% तक सीमित है, जो वैश्विक औसत से भी कम है (राष्ट्रीय महिला आयोग, 2021)। महिला आरक्षण विधेयक इस असंतुलन को ठीक करने और महिलाओं को नीति निर्माण में शामिल करने का माध्यम है।

महिला आरक्षण विधेयक के प्रमुख प्रभाव:

1. लैंगिक समानता का प्रोत्साहन:

   यह विधेयक महिलाओं को समान अवसर प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी बनता है।

2. सामाजिक बदलाव:

   जब महिलाएँ संसद और विधानसभाओं में शामिल होती हैं, तो वे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य, और लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं।

3. प्रेरणा का स्रोत:

   यह विधेयक महिलाओं को राजनीति में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, जिससे युवा पीढ़ी के लिए नए आदर्श स्थापित होते हैं।

हालाँकि, विधेयक अभी तक पारित नहीं हो पाया है, लेकिन इसके प्रति जागरूकता और समर्थन ने महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों के प्रति समाज और राजनीतिक तंत्र की सोच को बदल दिया है।

1.5 पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं की भूमिका और प्रभाव

1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों ने पंचायती राज और शहरी निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान किया। यह प्रावधान भारत के लोकतांत्रिक तंत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।

1. सामाजिक मुद्दों पर ध्यान:

   महिला प्रतिनिधियों ने जल, स्वच्छता, शिक्षा, और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया, जिससे ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिला (विश्व बैंक रिपोर्ट, 2020)।

2. नेतृत्व कौशल का विकास:

   महिलाओं को स्थानीय शासन में शामिल करने से उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित हुई।

3. भ्रष्टाचार में कमी:

   कई अध्ययनों से पता चला है कि महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में कमी आई है और संसाधनों का बेहतर उपयोग हुआ है (चटर्जी, 2015)।

1.5.1 पंचायती राज में महिला आरक्षण के प्रभाव:

महिला आरक्षण ने न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई है, बल्कि सामाजिक संरचना में भी बदलाव लाया है। इसके परिणामस्वरूप महिलाएँ घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहीं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाने लगीं।

चुनौतियाँ:

1. प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व:

   कई बार महिला प्रतिनिधियों को उनके परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

2. सामाजिक बाधाएँ:

   ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

महिला आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन हैं। पंचायत राज प्रणाली में महिलाओं की भागीदारी और महिला आरक्षण विधेयक जैसे कदमों ने महिलाओं को राजनीति में स्थान दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन महिला आरक्षण का प्रभाव यह दर्शाता है कि महिलाएँ न केवल समाज में बदलाव ला सकती हैं, बल्कि वे राजनीति में भी समान रूप से योगदान देने में सक्षम हैं।

1.6 महिला नेताओं का वैश्विक और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

महिला नेतृत्व ने न केवल वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है, बल्कि यह समाज और राजनीति में बदलाव लाने का प्रमुख कारक भी बना है। चाहे वैश्विक स्तर पर जैसिंडा अर्डर्न और एंजेला मर्केल जैसी नेता हों या भारत में इंदिरा गांधी और मायावती जैसी प्रभावशाली शख्सियतें, इन महिला नेताओं ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी असाधारण नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया है।

वैश्विक महिला नेतृत्व

जैसिंडा अर्डर्न (न्यूजीलैंड)

जैसिंडा अर्डर्न, न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री, अपने संवेदनशील और प्रभावशाली नेतृत्व के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने न केवल COVID-19 महामारी को प्रभावी ढंग से संभाला, बल्कि क्राइस्टचर्च आतंकी हमले के बाद समुदायों को एकजुट करने का प्रेरक कार्य भी किया। उनके नेतृत्व में न्यूजीलैंड ने एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की दिशा में कदम बढ़ाए (रॉबर्ट्स, 2020)।

एंजेला मर्केल (जर्मनी)

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को यूरोप की सबसे प्रभावशाली नेता माना जाता है। उनके नेतृत्व में जर्मनी ने आर्थिक स्थिरता और वैश्विक राजनीति में एक सशक्त स्थान प्राप्त किया। मर्केल का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और संकट प्रबंधन की क्षमता उन्हें "यूरोप की लौह महिला" के रूप में स्थापित करती है (स्मिथ, 2015)।

कमला हैरिस (अमेरिका)

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की भी हैं, ने नस्लीय और लैंगिक समानता के मुद्दों पर सशक्त नेतृत्व प्रस्तुत किया है। उन्होंने विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देने का काम किया, जो वैश्विक राजनीति में महिला नेतृत्व का एक आदर्श उदाहरण है।

भारतीय महिला नेता

इंदिरा गांधी (भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री)

इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति में "आयरन लेडी" के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका कार्यकाल (1966-1977 और 1980-1984) कई महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाना जाता है, जैसे 1971 का भारत-पाक युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उनके दृढ़ नीतिगत निर्णय और सशक्त नेतृत्व ने भारत को वैश्विक राजनीति में सशक्त रूप से स्थापित किया। हालांकि, आपातकाल (1975-1977) के दौरान उनके नेतृत्व पर आलोचना भी हुई, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत ने उन्हें भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता बनाया (गोपाल, 1991)।

मायावती (बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख)

मायावती भारतीय राजनीति की एक प्रमुख दलित नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए काम किया। उनका नेतृत्व समाज के कमजोर वर्गों को राजनीतिक मंच पर सशक्त करने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने दिखाया कि एक महिला नेता जातिगत और लैंगिक बाधाओं को तोड़कर राजनीति में कैसे सफल हो सकती है (शर्मा, 2010)।

जयललिता (तमिलनाडु की मुख्यमंत्री)

जयललिता तमिलनाडु की लोकप्रिय मुख्यमंत्री थीं, जिन्हें "अम्मा" के नाम से जाना जाता है। उनकी नीतियाँ, जैसे "अम्मा कैंटीन," समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्गों के लिए समर्पित थीं। उनका करिश्माई व्यक्तित्व और प्रशासनिक दक्षता उन्हें भारतीय राजनीति में एक अद्वितीय स्थान दिलाते हैं।

1.7महिला नेतृत्व की चुनौतियाँ और सफलता

महिला नेताओं ने न केवल समाज और राजनीति में बदलाव लाया है, बल्कि उन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि नेतृत्व क्षमता लिंग पर निर्भर नहीं करती। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेतृत्व के बावजूद, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे लैंगिक भेदभाव, सामाजिक दबाव, और राजनीतिक संरचनाओं में बाधाएँ।

इन महिला नेताओं की सफलता यह दर्शाती है कि जब महिलाएँ नेतृत्व के केंद्र में होती हैं, तो नीतियाँ अधिक समावेशी और मानवीय दृष्टिकोण वाली होती हैं। महिला नेतृत्व ने न केवल समाज में सुधार लाया है, बल्कि नई पीढ़ी को प्रेरित करने का काम भी किया है।वैश्विक और राष्ट्रीय महिला नेताओं ने यह साबित किया है कि राजनीति और समाज में बदलाव लाने की क्षमता महिलाओं में भी समान रूप से है। इन नेताओं की उपलब्धियाँ और उनके संघर्ष महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। महिलाओं का नेतृत्व न केवल लोकतंत्र को मजबूत करता है, बल्कि समाज में समानता और प्रगतिशीलता की भावना भी पैदा करता है।बल्कि वे निर्णय प्रक्रियाओं में प्रभावशाली भूमिका निभाएँ। हालाँकि, इसके रास्ते में कई सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक बाधाएँ मौजूद हैं। ये बाधाएँ महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को सीमित करती हैं।

1.8 सामाजिक बाधाएँ

1.8.1 पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण और लैंगिक भेदभाव

भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच महिलाओं को राजनीति में प्रवेश से रोकती है। महिलाएँ अभी भी घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित मानी जाती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी सीमित हो जाती है

(नेशनल कमिशन फॉर विमेन, 2021)।लैंगिक भेदभाव भी एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं को अक्सर नेतृत्व के लिए अनुपयुक्त माना जाता है और उनकी क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करता है, बल्कि उन्हें पार्टी और समाज में निर्णय प्रक्रियाओं से बाहर कर देता है।

1.8.2 शिक्षा और जागरूकता की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का निम्न स्तर और राजनीति के प्रति जागरूकता की कमी भी उनकी भागीदारी को प्रभावित करती है। शिक्षा के बिना महिलाएँ नीतिगत प्रक्रियाओं में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित नहीं कर पातीं।

1.9 आर्थिक बाधाएँ

1.91. वित्तीय निर्भरता

महिलाएँ वित्तीय रूप से स्वतंत्र नहीं होतीं, जिससे उनके राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेने की संभावना कम हो जाती है। चुनाव लड़ने के लिए वित्तीय संसाधन एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, और महिलाओं के पास अक्सर यह सुविधा नहीं होती।
इसके अतिरिक्त, राजनीतिक दल अक्सर महिलाओं को टिकट देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि महिलाओं के पास चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त वित्तीय साधन और समर्थन नहीं होता (चटर्जी, 2015)।

1.9.2 संसाधनों की कमी

राजनीतिक भागीदारी के लिए नेटवर्किंग और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। महिलाएँ, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, इन संसाधनों तक पहुँच नहीं बना पातीं। इस कमी के कारण वे राजनीति में प्रभावी भूमिका निभाने में असमर्थ रहती हैं।

1.10राजनीतिक बाधाएँ

1.10.1 पार्टी संरचना में महिलाओं की सीमित भूमिका

राजनीतिक दलों के आंतरिक ढाँचे में महिलाओं की भूमिका सीमित रहती है। महिलाओं को अक्सर पार्टी के नीतिगत निर्णयों में शामिल नहीं किया जाता, और उनका उपयोग केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है।

1.10.2 निर्णय प्रक्रिया में बाधाएँ

राजनीतिक दलों में प्रमुख पदों पर पुरुषों का वर्चस्व है। महिलाएँ पार्टी संरचना में नीचले स्तर पर कार्य करती हैं, जहाँ उनके पास निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं होता। इसके अलावा, कई बार महिलाओं को चुनावी टिकट सिर्फ उन क्षेत्रों से दिया जाता है जहाँ जीतने की संभावना कम होती है, जिससे उनका राजनीतिक करियर बाधित होता है (सिंह, 2020)।

1.10.3भ्रष्टाचार और बाहुबल का दबाव

भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार और बाहुबल का दबदबा महिलाओं के लिए एक और बड़ी चुनौती है। महिलाओं को अक्सर इन दबावों का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए राजनीति में काम करना और भी कठिन बना देता है।

महिलाओं के लिए राजनीतिक भागीदारी की चुनौतियाँ जटिल और बहुआयामी हैं। सामाजिक मान्यताओं, आर्थिक संसाधनों की कमी, और राजनीतिक संरचनाओं में असमानता उनके लिए बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, महिला आरक्षण और सशक्तिकरण की पहल ने राजनीति में उनकी भागीदारी को धीरे-धीरे बढ़ावा दिया है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए समाज और सरकार को मिलकर काम करना होगा ताकि महिलाएँ राजनीति में स्वतंत्र और प्रभावी भूमिका निभा सकें।

1.11 महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ और पहल

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई कानूनी प्रावधान, नीतियाँ, और योजनाएँ बनाई गई हैं, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उन्हें मजबूत करने का कार्य करती हैं। साथ ही, गैर-सरकारी संगठनों और डिजिटल माध्यमों ने भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

1.11.1महिला आरक्षण विधेयक: महिला आरक्षण विधेयक (1996) महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। पंचायत राज अधिनियम, 1993, के तहत पहले ही महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर 33% आरक्षण दिया गया है, जो बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इस पहल ने जमीनी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया और उन्हें नेतृत्व की क्षमता विकसित करने का अवसर दिया (सिंह, 2021)।

1.11.2कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013: यह कानून महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम के तहत महिला कर्मचारियों के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने और समाधान प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

1.11.3 **दहेज निषेध अधिनियम, 1961**: यह कानून दहेज प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया है। दहेज प्रथा महिलाओं के प्रति हिंसा और उनके अधिकारों के हनन का एक प्रमुख कारण है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

यह अधिनियम महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।

सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका

सरकारी योजनाएँ

1. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान: यह योजना महिला शिशु हत्या को रोकने, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने, और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शुरू की गई थी।
2. स्टैंड अप इंडिया योजना: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
3. उज्ज्वला योजना: यह योजना महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी।

गैर-सरकारी संगठन (NGOs): गैर-सरकारी संगठनों ने महिला सशक्तिकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है।सेवा (सेल्फ-एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन)जैसे संगठन महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं।महिला मंचऔरआज़ाद फाउंडेशनजैसे संगठन महिलाओं के लिए कानूनी सहायता, शिक्षा, और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म का योगदान: डिजिटल प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने महिलाओं को अपने कौशल को निखारने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने में मदद की है।

सेल्फी विद डॉटरजैसे डिजिटल अभियान समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सफल रहे हैं।

सामाजिक जागरूकता अभियान

1. #MeToo अभियान: यह वैश्विक अभियान महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों को उजागर करने और उनकी आवाज को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण रहा है।
2. सपनों की उड़ान: यह अभियान ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से चलाया गया।

निष्कर्ष

महिला सशक्तिकरण के लिए नीतियाँ, कानूनी प्रावधान, और जागरूकता अभियान एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों ने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सामाजिक अभियानों ने इस दिशा में एक नई क्रांति का आरंभ किया है। हालांकि, इन पहलों का प्रभाव तभी पूर्णतः महसूस किया जा सकता है जब समाज और राजनीतिक व्यवस्था इन प्रयासों का व्यापक रूप से समर्थन करें।

महिला सशक्तिकरण और राजनीति पर यह शोध इस बात को रेखांकित करता है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। यह समाज और राजनीति में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महिला नेताओं और पंचायत स्तर पर महिला प्रतिनिधियों ने दिखाया है कि वे नेतृत्व में कितना प्रभावशाली योगदान कर सकती हैं।हालांकि, पितृसत्तात्मक सोच, आर्थिक असमानता, और सामाजिक रूढ़ियों के कारण महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी सीमित है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए शिक्षा, जागरूकता, और सशक्त नीतियाँ आवश्यक हैं।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समाज और सरकार को सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उठानी होगी। यह सामूहिक प्रयास केवल महिलाओं को लाभ नहीं पहुँचाएगा, बल्कि समाज के समग्र विकास और लोकतंत्र को सशक्त बनाने में मदद करेगा।

संदर्भ

1. कौल, पी. (2021). *महिला आरक्षण और इसके प्रभाव: अध्ययन*।सामाजिक विज्ञान पत्रिका, 12(3), 78-92।
2. गोपाल, एस. (1991). *इंदिरा गांधी: जीवन और नेतृत्व.*
3. चटर्जी, पी. (2015). *महिला सशक्तिकरण और पंचायत राज: एक अध्ययन.*
4. चौधरी, आर. (2020). *राजनीति में महिलाओं की भूमिका: भारतीय संदर्भ में एक विश्लेषण*।भारतीय राजनीति जर्नल, 35(2), 45-60।
5. भारत सरकार. (2022). *महिला सशक्तिकरण पर सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ*।महिला एवं बाल विकास मंत्रालय।
6. महिला और बाल विकास मंत्रालय. (2022). *भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल।*
7. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2021). *भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी.*
8. रॉबर्ट्स, ए. (2020). *जैसिंडा अर्डर्न: नेतृत्व का एक अध्ययन.*

9. वर्ल्ड बैंक. (2019). *महिला नेतृत्व और आर्थिक विकास: एक रिपोर्ट।*

10. विश्व बैंक रिपोर्ट. (2020). *इम्पैक्ट ऑफ वीमेन इन लोकल गवर्नेंस.*

11. शर्मा, पी. (2010). *मायावती और दलित राजनीति.*

12. सिंह, आर. (2021). *महिला सशक्तिकरण और आरक्षण की राजनीति।*

13. सेवा संगठन. (2019). *महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास।*

14. सैनी, एस. (2018). *महिलाओं की पंचायत स्तर पर भागीदारी का प्रभाव।*ग्रामीण विकास रिपोर्ट।

15. स्मिथ, टी. (2015). *एंजेला मर्केल: यूरोप की लौह महिला.*

16. नेहरू, जे. (1951). *डिस्कवरी ऑफ इंडिया.*

17. मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. (2015). *बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना की रिपोर्ट.*

18. देवी, एम. (2018). *महिला उद्यमिता और स्वावलंबन के नए आयाम.*

19. सिंह, आर. (2003). *पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण.*

20. चटर्जी, पी. (2010). *महिला सशक्तिकरण और राजनीति: भारतीय परिप्रेक्ष्य.*

21. वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. (2020). *लीडरशिप इन द 21st सेंचुरी.*

22. UNDP. (2019). *जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट.*